संख्या-34/2016/878/सैंतीस-2-2016-1(24)/2015

प्रेषक,

रणविजय सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-11 अप्रैल, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मंत्रि परिषद एवं निदेशन तथा प्रशासन के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1/बजट/29(5)/30/13/2015-16, दिनांक-01.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2013-मंत्रि परिषद-आयोजनेत्तर-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-03-पशुधन मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान-42-अन्य व्यय में प्राविधानित रू0-10 हजार (रूपये दस हजार मात्र) तथा लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के अन्तर्गत मतदेय में रू0-6879854 हजार (रूपये छः अरब सत्तासी करोड़ अठठान्नवे लाख चौवन हजार मात्र) तथा भारित मद में रू0-1379 हजार (रूपये तेरह लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
2013-मंत्रि परिषद-आयोजनेत्तर- 105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान- 03-पशुधन मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
42-अन्य व्यय	**10**
2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर- 001-निदेशन तथा प्रशासन- 03-निदेशालय	
01-वेतन	2779558
02-मजदूरी	3502
03-मंहगाई भत्ता	3780199
04-यात्रा व्यय	6000
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	600
06-अन्य भत्ते	153997
07-मानदेय	400

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

08-कार्यालय व्यय	1000
09-विद्युत देय	20463
10-जलकर/जलप्रभार	1000
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	600
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	500
13-टेलीफोन पर व्यय	1500
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	9000
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	600
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	2000
18-प्रकाशन	50
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	5000
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	600
29-अनुरक्षण	2000
39-औषधि तथा रसायन	15000
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	600
42-अन्य व्यय (मतदेय)	2110
42-अन्य व्यय (भारित)	1379
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	35000
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100
45-अवकाश यात्रा व्यय	50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	300
49-चिकित्सा व्यय	58000
51-वर्दी व्यय	25
योग-001-03 (मतदेय)	**6879854**
(भारित)	**1379**

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- मानक मद 04 एवं 15 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे पेट्रोल/यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

5- मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से आगणन अनुमोदित कराने के उपरान्त ही किया जाय।

6- विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2013-मंत्रि परिषद-आयोजनेत्तर-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-03-पशुधन मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान-42-अन्य व्यय तथा लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

<u>पृ0सं0-34/2016/878(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in